Thursday, the 23rd December, 1999/Pausa 2, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the clock, The Deputy Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कामगारों के काम के घंटे

*361. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि विभिन्न महानगरों में न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कालूलों को लागू करने वाला कोई नहीं हैं;

(ख)क्या यह सच है कि अधिकांश कारखानों में मजदूर 12 घंटे तक कार्य करते हैं और उनका मासिक वेतन हजार रूपयें या बारह सौ रूपये मात्र हैं; और

(ग)यदि हां, तो सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही हैं?

श्रम मंत्री (**डा0 सत्यनारायण जटिया**) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं?

विवरण

(क)जी, नहीं।

न्यूनतम मजदूरी, अनुसूचित नियोजनों के संबंध में निर्धारित की जाती है जिन्हें इस प्रकार सम्बन्धित समुचित सरकारों अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है। अब तक 44 अनुसूचित नियोजनों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जबकि 1152 अनुसूचित नियोजन राज्य सरकारों द्वारा और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। सभी अधिसूचित अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न होने अथवा न्यूतम मजदूरी से कम भुगतान होने की स्थिति में, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्रधिकरण के समक्ष निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे प्रस्तुत करने का प्रावधान हैं। अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकार द्वारा निरीक्षण नियुक्त किए जाते हैं, ये उपबंध महानगरों सहित देश के सभी भागों में विस्तारित किए गए हैं।

(ख)और (ग) कारखाना अधिनियम में दैनिक और साप्ताहिक दोनों के लिए वयस्कों हेतु कार्य घंटो से सम्बन्धित प्रावधान हैं। इस कानून के उपबंधों के अनुसार किसी भी वयस्क कार्यक्रम से कारखाना में दैनिक 9 घंटों और साप्ताहिक 48 घंटों से अधिकए कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगीध्अथवा अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि एक कर्मकार से एक दिन में 9 घंटों और सप्ताह में 48 घंटों से अधिक कार्य कराया जाता हैं तो वह अपनी साधारण मजदूरी दा से दोगुना मजदूरी प्राप्त करनें का/की हकदार हैं। राज्य सरकारों ने कारखाना निरीक्षणालयों की स्थापना की हैं और निरीक्षक भी नियुक्त किए हैं, और उन्हें घंटों के विनियमन सहित कारखाना अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के प्रवर्तन कराने के लिए उत्तरदायी भी बनाया हैं। जब भी न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न किए जाने अथवा निर्धारित कार्य घंटों से अधिक कार्य लिए जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अथवा कारखाना अधिनियम, जैसा की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो न्यूनतम मजदूरी मजदूरी अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक द्वारा जांच की जाती है और जांच निरीक्षक तथा अनुवर्त्ती कार्रवाई के माध्यम से कानूनी राहत प्रदान करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाते दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाती हें। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र मे श्रम कानूनों के अनुशासन न किए जाने मददों पर राष्ट्रीय और आंचलिक दोनों स्तर पर आयोजितए होने वाले श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाता हैं और दिशानिर्देश निर्मत करने सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती हैं। नियोजन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक खास समय से श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में बड़े पैमाने पर शिकायतों के मामलें में, केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

Working Hours for Workers

*†361. SHRI JANESHWAR MISRA: Wil1 the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no one to implement laws regarding minimum wages in different Metropolitan cities;

(b) whether it is also a fact that in most of the factories, workers work upto 12 hours and their monthly wages are a thousand or twelve hundred rupees only; and

(c) if so, the action being taken by Government to implement the labour laws?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) No, Sir.

Minimum wages are fixed in respect of scheduled employments which are notified as such under the Minimum Wages Act by the respective appropriate Governments, *i.e.,* Central & State Govt. So far, 44 scheduled employments have been notified by the Central Government while 1152 scheduled employments have been notified by the State Governments & UTs. Minimum wages have been fixed in respect of all the notified scheduled employments. In the event of non-payment of minimum wages or payment less than the minimum wages, Minimum Wages Act provides for filing of claims within the prescribed time limit before the authority notified by the appropriate Government. Inspectors are appointed by the appropriate Government for enforcement of other provisions of the Act. These provisions have been extended to all parts of the country including metropolitan cities.

(b) and (c) Factories Act deals with working hours for adults both for a day as well as for a week. According to the provisions of this law, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week or for more than 9 hours in any day. In case a worker is made to work for more than 9 hours in a day or 48 hours in a week he/she is entitled to receive wages twice his/her ordinary rate of wages. The State Governments have set up Inspectorates of Factories and have also appointed inspectors and have made the same responsible for enforcement of the various provisions of the Factories Act including regulation of working hours. As and when complaints are received from the aggrieved workmen regarding non-payment of minimum wages or for working beyond the prescribed working hours, the complaints are examined by the inspectors appointed as such under the Minimum Wages Act or the Factories Act, as the case may be, and necessary steps taken to provide statutory relief through investigation, inspection and follow up action. Simultaneously, legal and penal action against the default ing employers under the relevant labour laws are also taken. The issue pertaining to non-observance of labour laws in the Central and State sphere is also discussed in the Labour Ministers' Conferences held both at the national level as well as zonal level and corrective

action including issue of guidelines is taken. In case of large scale complaints on violation of labour laws in any particular sector of employment at a particular point of time, special drives are launched by the officers of the labour laws enforcement machinery in both Central as well as the State sphere.

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीया उपसभापति महोदया, इधर देश में मजदूरों की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही हैं। देश के कई महानगरों में मजदूरी न्यूनतम से भी कम हैं । जो लोग घरों में काम करते हैं। छोटे छोटे कल-कारखानों में काम करते हैं, कहीं कहीं पर एक हजार रूपये प्रति मास पर काम करते हैं या उससे भी कम पर। मंत्री जी ने जवाब में हमको नियम बताया है और जो विवरण सभा पटल पर रखा हैं, उसमें यह बताया है कि कैसे-कैसे किस तरह से न्यूतम मजदूरी तय की जाती हैं। लेकिन ज़मीन पर जिसको हकीकत कहते हैं, वह अलग दर्शाती हैं। यह हालत बिगड़ी है तथा और बिगड़ने की आशंका हैं, चाहे वामपंथी हों, दक्षिणपंथी हों या कोई और हो। अभी विश्व व्यापार के सिलसिले में जो होड़ मची है कि हम भी दुनिया के बाज़ार में बराबरी के दर्जे पर जाएं और शेखी बघारी जा रही हैं कि हम मजदूरों के समान मानक के बारे में अमरीका की धौंस नहीं मानेंगे, हम को भी अच्छा लगा कि दुनियां के महा प्रभु के सामने विकासशील देश ने चुनौती दी हैं। कमज़ोर आदमी मजबूत के सामने ताल ठोकता अच्छा लगता हैं लेकिन हम अपने ही देश में अपने मजदूरों के बारे में बहस कर रहे हैं।उ क्या यह सच नहीं हैं, मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि इस देश के महानगरों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी मजदूरों की हालत ही खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला दिया था कि कम से कम 85 रूपये न्यूनतम मजदूरी मजदूरों की होनी चाहिये। यह फैसला नहीं, सिफारिश थी सरकार को, इसलिए मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को सरकार मानेगी और इस समय न्यूनतम मजदूरी कितनी हैं क्योंकि जो विवरण सभा फैसले को क्या सरकार मानेगी, यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी हैं?

डा0 सत्यनारायण जटिया : माननीया उपसभापति जी, जैसे कि माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हैं कि 85 रूपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिये। किन्तु जहां तक न्यूनतम मजदूरी का सवाल है इसके लिए दायरे तय किये गये हैं। उन इंपलायमेंट के दायरों में 1152 दायरे राज्य सरकारों के अन्तर्गत हैं और 44 दायरे केन्द्र सरकार के अन्तर्गत हैं। जो राज्य सरकारों के दायरें हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स .कंपीटेंट है और 44 इंपलायमेंट के दायरों के लिए केन्द्र सरकार कंपीटेंट हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का मामला हैं, यह सिफारिशें है और राज्य सरकारों को या कंपीटेंट गवर्नमेंट्स को मुजूर करनी हैं, यह सही बात है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर कहा है कि न्यूनतम मजदूरी देने की दृष्टि से जो न्यूनतम सीमा तय हैं, उसके अनुसार मजदूरी देने का काम करें। अभी जो प्रश्न उठाया गया

है अमरीका का और जो सियेटल मे बात हुई निश्चित रूप से यह बात सच हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन सारी बातों के लिए कंपीटेंट हैं, वह बात करेगा। आपने शहरों के बारे में मजदूरी पूछी हैं। उसकी दरें मेरे पास हैं। न्यूनतम मजदूरी जो दिल्ली की सरकार ने तय की हैं वह 108.36 रूपए हैं। मुम्बई में जो प्रस्तावित है अभी जो आंकड़े मुझे मिले है उसमें 42.46 रूपए से लककर 85.92 रूपए तक हैं। यह जो वैरिएशन है दरों का वह इसलिए है कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नान-स्किल्ड आदि कामों के लिए ये दरें हैं। इसलिए वैरिएशन हैं। कलकत्ता के लिए जो आंकड़े, जनवरी, 1999 से मेरे पास उपलब्ध हैं उसमें 36.55 रूपए से लेकर 79.99 रूपए तक हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 22.40 रूपए से लेकर 82.72 रूपए तक हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, मैं कहना चाहता था कि हकीकत में जो न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को दी जा रही है वह बहुत ही कम हैं। राज्य सरकारों की तरफ से जो रिपोर्ट आई, मंत्री जी ने उसको बता दिया और हमने सुन भी लिया हैं। केंद्र सरकार के भी प्राधिकरण हैं। केंद्र सरकार के अधीन बहुत से प्रधिकरण हैं। हम कई प्रधिकरणों को जानते हैं, सरकार में रहते हुए भी जानते थे कि डेढ़-डेढ़ साल से उन सबको तनख्वाह ही नहीं दी गयी हैं और वे भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो कोई भी फैक्ट्री में काम करता हो उसको महीने की पहली तासरीख को तनख्वाह दे दी जाए और जो न दे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। डेढ़ साल से वाटर रिसोसेंज का एक कन्सर्न तनख्वाह ही नहीं दे रहा हैं। मजदूर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। पिछले दिनों 5-6 साल पहले मैं संजय गांधी हस्पताल में भर्ती था वहां ठेकेदार के मजदूर होते हैं जो सफाई करते हैं। हस्पताल में सफाई देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। तीन बार सफाई होती है। हमने पूछा कि कैसे हैं? कहा कि हम ठेकेदार के हैं। हमारी मजबूरी हैं। हमको निकाल देंगे। हमने कहा कि कितने देते हैं? बोल 500 रूपए महीना।ए हम नहीं जानते कि लखनऊ की सरकार ने आपको क्या रिपोर्ट दी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा के जरिए मजदूरों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा हैं। इस प्रथा को स माप्त कराने के लिए या उस विभाग में जो मजदूरी का रेट है वहीं रेट ठेकदारी प्रथा में भी दिया जाए,इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं? एक तो मेरे सप्लीमेंटरी का यह "अ" हिस्सा हैं और "ब" हिस्सा है कि मैडम, क्या यह सच नहीं है कि जो संगठित कारखानें हैं, संगठित क्षेत्र हैं वहां के मजदूरों को जो डीयरनेस एलाउंस दिया जाता है वह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं दिया जाता हैं? क्या इन दोनों को भी बराबर किया जाएगा?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय उपसभापति जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि वाटर रिसोसेंज और ठेकेदारी की प्रथा में मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही हैं तो निश्चित रूप से ...

श्री जनेश्वर मिश्र : ठेकेदारी प्रथा में नहीं। वह तो एक कन्सर्न हैं, निर्माण कंपनी हैं। वहां पर तजदूरी नहीं दी जाती हैं। वहां पर एक -डेढ़ साल से तनख्वाह ही नहीं दी गयी हैं। हमने पूछा है मैडम....

उपसभापति : उनहीं, वाटर रिसोसेंज में मतलब it is a very vague term. कौन-सा वाटर रिर्सोस हैं?

श्री जनेश्वर मिश्र : एन.पी.सी.सी. यह राष्ट्रीय कुछ ऐसा करके हैं।

डा.सत्यनारायण जटिया : माननीय सदस्य यदि जानकारी चाहेंगे तो हम उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र: डेढ़ साल से तनख्वाह ही नहीं दी गयी हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया : निश्चित रूप से किसी भी माननीय सदस्य को इसके बारे में कोई शिकायत है या कोई इस प्रकार की बात समझ में आती हैं ...

श्री जनेश्वर मिश्र : यह एक जगह नहीं हैं, यह देश भर में हैं।

उपसभापति : पब्लिक सेक्टर के बहुत से आर्गेनाइजेंशंस में भी हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया : हम एक कानूनी प्रावधान से बंधे हुए हैं और कुछ बातें जानकारी में आने पर उनको पूरा करने की दृष्टि से हम उनको पूरा करने का काम कर सकते हें। जहां तक डीयरनेस एलाउंस का मामला हैं। डीयरनेस एलाउंस के लिए एक पद्धति तय की हुई हैं। उस पद्धति के आधार पर वैरिएबुल डीयरनेस एलाउंस देने की पद्धति हैं। अपने यहां पर जों मूल्य सूचकांक होता हैं, प्राइस इंडेक्स होता है उस आधार पर उसको तय करने का काम होता हैं। प्रति प्वाइंट मूल्य सूचकांक में बढ़ने पर उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़कर उनको देने का प्रावधान किया जाता हैं। इस प्रकार से महंगाई भत्ता भी साथ में मिलाकर दैनिक वेतन के साथ देने के लिए नियम बना हुआ हैं।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जानना चाहूंगा कि दिल्ली में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां कि लेबर लॉज का पालन नहीं हो पा रहा हैं और कितने मजदूर इस कारण प्रभावित हो रहे हैं? कितनी ऐसी फैक्ट्रीज है जहां उन में काम करने वाले मजदूरों को निर्धारित मजदूरी पर दस्तखत तो कराए जाते हैं, लेकिन वह मजदूरी नहीं दी जाती हैं? कितनी फैक्ट्रीज में निर्धारित काम के घंटों से ज्यादा काम कराया जाता हैं, लेकिन वेजेज एक्ट के तहत भुगतान नहीं किया जाता? इस बारे में आप को कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्यवाही हुई हैं? साथ ही आज ही के समाचार-पत्र में छपा है कि मेट्रो रेलवे में भी मजदूरों को निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही हैं। क्या इस दिशा में मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ताकि मेट्रो रेलवे के मजदूरों को निर्धारित मजदूरी मिल सके?

डा0 सतयनारायण जटिया : महोदया, ज्यादा काम कराने के लिए कानून में इजाजत नहीं हैं। महोदया, नियम के अंतर्गत 9 घंटे काम का समय हैं, उस से ज्यादा काम कराने की अनुमति नहीं दी जाती हैं। उस से ज्यादा मजदूर काम करता हैं तो ओवरटाइम का प्रबंध हैं जो कि सामान्य दरों को दोगुना कर के दिया जाना चाहिए। महोदया, प्रतिदिन 9 घंटे और सप्ताह भर में 48 घंटे होते हैं और एक दिन का अवकाश भी आवश्यक हैं। महोदया माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न मेट्रो रेल....

श्री सुरेश पचौरी : मैंने यह जानना चाहा था कि दिल्ली में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां कि लेबर लॉज का पालन नहीं हो रहा हैं, जहां ओवरटाइम पर काम कराया जा रहा है और जहां निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही हैं क्या यह संख्या आप के पास हैं? अगर है तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

डा0 सत्यनारायण जटिया : महोदया, इसी के लिए निश्चित रूप से निरीक्षण की प्राणाली हैं जिस के अंतर्गत निरीक्षण हुआ हैं। वर्ष 1998 में 6139 निरीक्षण किए गए और अक्टूबर 1999 तक 5542 निरीक्षण हुए। इस के अंतर्गत कम वेतन का भुगतान, कामगारों को मिलने वाला लाभ और दायर किए गए दावों की संख्या की जानकारी इस प्रकार हैं: निरीक्षण के बाद दायर दावों की संख या वर्ष 1998 में 112 हैं, वर्ष 1999 में 606 हैं। इन में अभियोजन के पश्चात निर्णीत दावों की संख्या वर्ष 1998 में 275 है और वर्ष 1999 में 354 का निर्णय हुआ। इसका मतलब यह है कि निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से पाई गई कमियों और चूक को ध्यान में लाकर कार्यवाही की जाती है। मेट्रो रेलवे के बारे में खबर को, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैंने भी पढ़ा है और अधिकारियों से कहा है कि इस संबंध में जांच कर के बताएं।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभापति महोदया, मेरा बड़ा टेड क्वेश्चन है कि ऐसे कितने केसेज हैं जिन में अवहेलनाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही हुई और मजदूरों को रिलीफ मिली हैं?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have the names of SO Members before me. Now, I will go according to time, who comes fiist.

श्री सतयनारायण जटिया : माननीय सदस्य का प्रश्न चूंकि महानगरों तक सीमित था...

उपसभापति : उन्होंने यह पूछा है कि आपने जो निरीक्षण कराए हैं, वह तो ठीक हैं, पर कितने केसेज में आप ने ऐक्शन लिया हैं? उन में किसी को सजा मिली है कि नहीं,यह जानकारी वह चाहते हैं

डा0 सतयनारायण जटिया :निश्चित रूप से यह जानकारी हमारे पास हैं। दिल्ली मे दायर कुल केसेज की संख्या 6139 है जिन में से 359 में अभियोजन हुआ और वर्ष 1998 मे निर्णीत अतिभयोजनों की संख्या 275 हैं। वर्ष 1999 में 715 केसेज में अभियोजन हुआ और उस में दिल्ली के 354 फैसले निर्णीत हुए हैं। इस तरह से महानगरों के आंकड़े मेरे पास हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें...

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभापति जी, न मेरे क्वेश्चन का जवाब आया और न आप की डायरेक्शन से ही कुछ जवाब आया। मैंने पूछा है कि कितने लोगों को सजा मिली और कितने मजदूरों को रिलीफ मिली।

डा0 सतयनारायण जटिया : जो रिलीफ मिली है, वहीं तो सजा हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह बताइए।

उपसभापति : जो आप के पास आंकड़े हैं, वह उन्हें डायरेक्ट मत दीजिए, वह सदन के पटल पर रख दीजिए।

SHRI E. BALANANDAN: Madam, my quesiton is about the implementation of labour laws. I would like to know whether the Government, instead of implementing the labour laws, is trying to change the existing labour laws, and also provide for the right of hire and fire to the employers by removing all the legal hurdles existing today, as part of the policy of liberalisation.

डा0 सत्यनारायण जटिया : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने एक बड़ा प्रश्न पूछा है कि लिबरलाइजेशन कर पालिसी के कारण हायर और फायर जो होने वाला है उसके बारे में क्या अभिमत हैं? निश्चित रूप से लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण की नीति है, इसको देश ने स्वीकार किया हैं। जहां तक मजदूरों का माला हैं, मजदूरों के मामले में जो कानून में प्रावधान हैं, उसमें किसी भी प्रकार से मजदूर के हित में कोई ऐसा काम नहीं होगा, जिसमें कि मजदूर का अहित हो सके। हायर और फायर के बारे में अभी तक कानून में कोई इस प्रकार के प्रावधान नहीं हैं, लेकिन हर तरह से मजदूर के हित की रक्षा करने का श्रम मंत्रालय का दायित्व है और इसको हम करेंगे।

श्री वेद प्रकाश गोयल : उपसभापति जी, महानगरों तक यह सीमित सवाल है और इंडस्ट्रीज में मुम्बई का अपना एक स्थान हैं।

उपसभापति : मुम्बई, बम्बई नहीं।

श्री वेद प्रकाश गोयल : मैडम, मुम्बई मैंने कहा। स्वयं राम नाईक जी यहां बैठे हैं, उनके सामने तो कहना भी कठिन होगा।

उपसभापति : स्वयं मैं भी इधर बैठी हूं।

श्री वेद प्रकाश गोयल : मुम्बई में जो कोई इंडस्ट्रा हैं, उनमें मिनिमम वेजेज, ओवरटाइम सबका प्रावधान है, सबका इस्पेक्शन हैं, सबका इंपलीमेंटेशन होता हैं, उसमें यह भी नहीं रहता कि कौन कितना काम करता है, बिना इसको मेजर किए पूरी पगार वगैरह उनको मिलती हैं। लेकिन उनसे कई गुना अधिक , हजारों ऐसे छोटे-मोटे कारखाने हैं, जहां मालिक भी काम करता

हैं, उसके बच्चे भी काम करते हैं, व हां भी फेक्टरी एक्ट लगता हैं, उसे लेबर वेजेज देते नहीं, दे सकते नहीं, अनएंपलायमेंट इतना ज्यादा है कि आदमी किसी भी पगार पर काम करने को तैयार हैं। वहां उनसे गलत लिखवाया जाता हैं और अगर वह छोड़ के जाए तो नौकरी लेने के लिए लाइन से दस लोग बहार खड़े हैं। तो यह जो अनआगेंनाइज्ड लेबर हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रही हैं और आगे क्या करने का विचार हैं? उनकी प्रोटेक्शन हो नहीं सकती, ज्यादा प्रोटेक्शन करें तो उनकी नौकरी जाती हैं। इसका आप हल निकाल रहे हैं।

डा0 सत्यनारायण जटिया : मैडम, निश्चित तौर पर अनआगेंनाइज्ड लेबर की संख्या काफी बड़ी हैं। देश भर में साढ़े 32 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वह खेतों में काम करते हों, चाहे कारखानों में काम करते हों, चाहे अनियमितत रूप से कहीं काम करते हों, जिनको हम दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी संख्या है और इस सारी बात पर सर्वागीण विचार करने की दृष्टि से सरकार ने तय किया हुआ हैं। इसके लिए हमने अभी सेकेंड लेबर कमीशन, द्वितीय श्रम आयोग बनाया हैं, जिसमें इन अनअगेंनाइज्ड लेबर के लिए, उनकी प्रोटेक्शनके लिए उपाय किए जा सकें और उनको संरक्षण देने के लिए एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, समग्र विधान की रचना किस प्रकार से हो, इस पर लेबर कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया हैं।

श्री जलालुदीन अंसारी : उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि क्या यह चार महानगरों में कानून लागू नहीं हैं? जैसा आपने अभी मद्रास के बारे में बताया कि 23 रूपए न्यूनतम मजदूरी मिलती है, तो यह 23/- रूपए किस कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी है, जिसकी चर्चा उन्होंने की, इससे स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी मेट्रोपोलिटिन सिटीज में भी लागू नहीं हैं। दूसरी बात, आपने कहा है कि इसके लिए कारखाना निरीक्षक मौजूद हैं। कारखाना निरीक्षक तो कारखानक के मालिक के कहने पर काम करते हैं और इसका सबूत हैं कि वहां कोई रजिस्ब्र मेंटेन न करके, रजिस्टर, पर पेमेण्ट न करके वाऊचर पेमेंट किया जाता हैं। यह बात मंत्री जी को भी मालूम हैं। तो वाऊचर पेमेंट करने का ही यह अर्थ है कि कम मजदूरी दी जा रही है,कोई रिकार्ड मेण्टेन नहीं किया जा रहा। इस तरह से इन मजदूरों के साथ अन्याय होता हैं। तो उनको मजदूरी दिलाने और कारखाने के कानून के तहत उनको सुविधाएं दिलाने और उनकी सुरक्षा के संबंध में सरकार और आपका श्रम मंत्रालय कौन से कदम उठाने जा रहा हैं? यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

डा0 सयनारायण जटिया : उपसभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा हैं कि ऐसा कौन सा उद्योग है कि जिसमें 22.40 रू0 न्यूनतम वेतन मिल रहा है, तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चमड़ा उद्योग में काम करने वा लोगों को यह न्यूनतम वेतन मिलता हैं। अब वे कितने घंटे काम के लिए यह वेतन देते होंगे, कितने काम के लिए देते होंगे, इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बन गया है, किन्तु इसके लिए

जो कम्पिटेंट गवनेमेंट हैं, वह तमिलनाडु सरकार है और आपने कहा कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में भी ऐसा होगा कि कम वेतन उनको मिलता होगा, परन्तु कानूनी कारवाई करने के लिए कुछ आधार होना चाहिए और यदि आपको इस बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी है या कुछ और ... (**व्यवधान**) ...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You treat it as a violation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt.

DR. SATYA NARAYAN JATIYA: The State Government is the competent Government which will take action.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt in between. The Member has already put the question. It is his right to get a reply, जिन्होंने सवाल पूछा है, आप उनको जवाब दीजिए। No interruption should be there in the Question Hour.

डा0 सत्यनारायण जटिया : चमड़ा उद्योग में इस प्रकार का वेतन दिया जा रहा है और यह मेरी जानकारी में आया हैं क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट का स्फेअर है, यह ऐम्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है, जैसा मैंने बताया कि 1152 एम्प्लॉमेंट ऐसे हैं। जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं और उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को यह तय करना हैं। आपने जो स्नेसिफिक के दायरे में आते हैं और उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को यह तय करना हैं। आपने जो स्पेसिफिक जानकारी मांगी हैं, उसको मैं प्रदेश सरकार से प्राप्त करके आपको दे दूंगा।

श्री जलालुदीन अंसारी : मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा आपने कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी 22.40 रू0 हों ही नहीं सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर देती है तो कृपा करके आप हमको और सदन को यह बताएं

उपसभापति : महिलाओं को भी बराबर मिल रहा हैं या नहीं?

SHRIMATI SHABANA AZMI: Madam, through you, I ask of the hon. Minister whether India is a signatory to the ILO convention which guarantees some minimum wages for people working outside the factory situation, who are mostly women. If so, what steps is the Government taking in this regard?

Thank you.

डा0 सत्यनारायण जटिया : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पिछले अधिवेशन में इक्वेल रिम्यूनरेशन टू दि वूमन, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई थी, इसका एक समय भी तय किया हुआ है और इस दृष्टि से सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही हैं।

उपसभापति : 1975 में अंतर्राष्ट्रीय वूमन ईयर के समय यह बात तय हुई थी और हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कमिट किया था किequal wages for equal work. Has it been implemented because my Committee, the Empowerment Committee, is also concerned with it.

डा0 सत्यनारायण जटिया : यह तो कानूनी प्रावधान है कि इक्वेल.....

उपसभापति : अमल हो रहा है या नहीं? कानून तो बहुत हैं, यहां हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे लेबर मिनिस्टर हैं आप बताइए कि इस चीज़ पर अमल हो रहा हैं या नहीं हो रहा?

डा0 सत्यनारायण जटिया : जहां तक मेरी जानकारी में हैं, इसे अमल में लाया जा रहा हैं यदि इसके बारे में कोई शिकायत हैं .... (**व्यवधान**) ...

श्रीमती सरला (**माहेश्वरी**) : कितनी ही कोयला खदानों में लगातार इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा हैं।

उपसभापति : बीजिंग प्लस फाइव की अगेन बीजिंग में कांफ्रेंस हुई और उसमें भी इस रेज़ोल्यूशन में

डा0 सत्यनारायण जटिया : इक्वेल रिम्यूनरेशन के बारे में तो हमारी मानलयता बहुत स्पष्ट हैं और आपने 1975 की बात की, इक्वेल रिम्यूनरेशन ऐक्ट 1976 से लागू कर दिया गया हैं और लिंग के आधार पर, किसी भी महिला-पुरूष में अंतर करने का कोई कारण नहीं हैं। ... (**व्यवधान**) ...

श्रीमती सरलर माहेश्वरी : मैंने कहा न कि इसका उल्लंघन हो रहा हैं, मैं आपको डाटा दे सकती हूं।

डा0 सत्यनारायण जटिया : आप दीजिए।

उपसभापति : आप पूरा डाटा मंत्री जी को दीजिए और मंत्री जी उसका ब्यौरा अगले सैशन में सदन के पटल पर रखेंगे।

SHRI BRATIN SENGUPTA: Madam, will, the Minister kindly tell ,us what action he is going to take to prevent the recurring incidents of child labour and the tremendous form of child exploitation in the form of child labour in different factories in oar country?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have got a list of at least 25 Members who want to ask supplementaries to this question. I know it is a very serious question, and that is why everybody is asking supplementaries. I think there is a need to have a full-fledged discussion on our labour policy.

It is not possible to cover it during Question Hour. Unfortunately, the question is very limited to metropolitan cities only. But we have also got agricultural labour and unorganised labour. So, how can the hon. Minister answer about the entire thing? He can only answer your questions. I suggest that during the next session, we can have a full-fledged discussion. I cannot be discussed within a period of 25 minutes or even one hour. आप किमट कर लीजिए कि आप डिस्कस करेंग, तो मैं आगे बढ़ूं।

डा0 सत्यनारायण जटिया : माननीय उपसभापति महोदय जी ने जो चिंता व्यक्त की है उस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए डिस्कसन हो इसके लिए मैं सहमत हूं और मुझे खुशी होगी कि हम इस बारे में पूरी तरह से पूरी-पूरी चर्चा करें। जहां तक चाइल्ड लेबर का प्रश्न हैं, निश्चित रूप सक चाइल्ड लेबर का प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी चाइल्डउ लेबर के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जरूर मैं आपको दे सकता हूं। हमने चाइल्ड लेबर का प्रतिषेध किया हुआ हैं और हमने चाइल्ड लेबर के दायरे को धीरे-धीरे कम करने के लिए आकूपेशन और प्रोसेसर में उसको खतरनाक घोषित करके बंद करने का काम किया हैं। आज मोटै तौर पर हमारे पास जो आकूपेशन और प्रोसेसर हैं, वह 64 हैं। इन खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नहीं लगाया जाना चाहिए और इस दृष्टि से कि कानून का पालन हो हमने बच्चों को काम पर नहीं लगाने के लिए कोशिश की हैं और इतना ही नहीं उनको रिहेबलिटेट करने के लिए भी हमारी योजनाएं काम कर रही हैं। अगर वह अलग से कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: This year is the tenth year of the signing of the Rights of the Child. We have a lot of responsibility, nationally as well as internationally. Now, we take up the next question. Question No. 362.